रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17022022-233551
CG-MH-E-17022022-233551

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943
No. 94] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

भारतीय रिजर्व बैंक

(भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 10 फ़रवरी, 2022

भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विनियमावली, 2022

अधिसूचना सं. सीओ. डीपीएसएस. ओवरसाइट. सं. S1417/06.08.001/2021-22.—भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

(i) यह विनियमावली भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विनियमावली, 2022 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. **संशोधन**

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 में,

(i) विनियम 5 में, "प्रणाली प्रदाता" शब्द को "प्रणाली सहभागी" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) विनियम 6 में,

(ए) उप-विनियम (2) को हटाया जाएगा;

(बी) उप-विनियम (3) को उप-विनियम (2) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा और उसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

"उपर्युक्त उप-विनियम (1) के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित विवरणियां और दस्तावेज प्रणाली प्रदाता द्वारा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।"

(सी) उप-विनियम (4) को उप-विनियम (3) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा और उसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

"उप-विनियम (1) के तहत विवरणियां और दस्तावेज प्रणाली प्रदाता द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय से बैंक के मुंबई में स्थित कार्यालय (भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय) में प्रस्तुत किए जाएंगे ।"

बशर्ते कि बैंक किसी भी यह समय यह निर्देश दे सकता है कि उप-विनियम (1) के तहत विवरणियां और दस्तावेज बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक के किसी अन्य कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं।

(iii) अनुसूची में, मद संख्या 3, 4 और 6 को हटा दिया जाएगा ।

पी. वासुदेवन, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./649/2021-22]

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Payment and Settlement Systems)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th February 2022

Payment and Settlement Systems (Amendment) Regulations, 2022

Notification No. CO. DPSS. Ovrst. No. S1417/06.08.001/2021-22.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (b) to (f) of sub-section (2) of Section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendment to the Payment and Settlement Systems Regulations, 2008 namely –

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Payment and Settlement Systems (Amendment) Regulations, 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendments

In the Payment and Settlement Systems Regulations, 2008,

(i) In Regulation 5, the word "system provider" shall be substituted with "system participant".

(ii) In Regulation 6,

(a) Sub-regulation (2) shall be omitted;

(b) Sub- regulation (3) shall be renumbered as sub-regulation (2) and substituted with the following, namely,

"The returns and documents as required by the Bank under sub- regulation (1) above shall be submitted by the system provider in the form specified by the Bank from time to time."

(c) Sub- regulation (4) shall be renumbered as sub-regulation (3) and substituted with the following, namely,

"The returns and documents under sub-regulation (1) shall be submitted by the system provider from its registered office to the office of the Bank (Department of Payment and Settlement Systems, Central Office) situated in Mumbai."

Provided that the Bank may at any time, direct that the returns and documents under sub- regulation (1) be submitted to any other office of the Bank as may be specified.

(iii) In Schedule, Items numbers 3, 4 and 6 shall be deleted.

P. VASUDEVAN, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./649/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.02.17 16:11:41 +05'30'